"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 4 फरवरी 2011—माघ 15, शक 1932

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 जनवरी 2011

क्रमांक ई-01-02/2011/एक/2.—श्री के. सुब्रमणियम, (भा.व.से.) सचिव, मुख्य मंत्री, आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन को केवल आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रभार से मुक्त करते हुए अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त-सह-संचालक, तकनीकी शिक्षा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है तथा पदेन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग घोषित किया जाता है.

2. श्री जी. एस. धनंजय, भा.प्र.से. (1997) आयुक्त, आदिवासी विकास, प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम एवं संचालक, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, सरगुजा के पद पर पदस्थ किया जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

3. श्री एम. एस. परस्ते, भा.प्र.से. (2000) कलेक्टर, बस्तर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, आदिवासी विकास के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही उन्हें प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम तथा संचालक, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

श्री परस्ते द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम 9 के तहत अधिसमय वेतनमान का संवर्गीय पद, आयुक्त, आदिवासी विकास के पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

4. सुश्री शहला निगार, भा.प्र.से. (2001) अपर आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं पदेन संयुक्त सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के पद पर पदस्थ किया जाता है. वह पदेन संयुक्त सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रभार में यथावत् बनी रहेगी.

सुश्री निगार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम 9 के तहत् आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

5. डॉ. कमलप्रीत सिंह, भा.प्र.से. (2002) कलेक्टर, सरगुजा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

श्री सिंह द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम 9 के तहत् संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

6. सुश्री रीना बाबा साहेब कंगाले, भा.प्र.से. (2003) उप सचिव, छत्तीसगढ़ मंत्रालय को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संचालक, जनशक्ति नियोजन के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही उन्हें प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं संचालक, राज्य साक्षरता मिशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

सुश्री कंगाले द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम 9 के तहत् संचालक, जनशक्ति नियोजन के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

7. श्री अन्बलगन पी., भा.प्र.से. (2004) संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, बस्तर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

8. श्री मुकेश कुमार, भा.प्र.से. (2005) आयुक्त, नगर निगम, बिलासपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, कबीरधाम के पद पर पदस्थ किया जाता है.

9. सुश्री आर. संगीता, भा.प्र.से. (2005) कलेक्टर, कबीरधाम को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उप सचिव, छत्तीसगढ़ मंत्रालय पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 20 जनवरी 2011

क्रमांक ई-1-13/2009/एक/2.—भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 18/04/2008-ईओ (एमएम-II), दिनांक 24-12-2010 के तारतम्य में श्रीमती निहारिका बारिक, भा.प्र.से. (CG:1997), संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण, संचालक, तकनीकी शिक्षा तथा संचालक, राज्य साक्षरता मिशन, रायपुर की सेवायें कार्यभार ग्रहण दिनांक से चार वर्ष की अवधि के लिये भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को उप सचिव, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के पद पर नियुक्ति हेतु तत्काल प्रभाव से सौंपी जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 जनवरी 2011

फा. क्र. 568/3251/21-ब/छ. ग./2010.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड एक एवं छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्ते) नियम, 2006 के नियम 8 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, उच्च न्यायालय की अनुशंसा से, एतद्द्वारा, श्री सिराजुद्दीन कुरैशी आत्मज श्री नसीरूद्दीन कुरैशी को उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्ते) नियम, 2006 के नियम 5 (1) (सी) के अंतर्गत, दो वर्ष की परिवीक्षा पर या आगामी आदेश तक वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 में जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं.

रायपुर, दिनांक 21 जनवरी 2011

फा. क्र. 570/3344/21-ब/छ. ग./2010.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड एक एवं छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्ते) नियम, 2006 के नियम 8 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, उच्च न्यायालय की अनुशंसा से, एतद्द्वारा, श्री उत्तरा कुमार कश्यप आत्मज श्री उजित राम कश्यप को उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्ते) नियम, 2006 के नियम 5 (1) (सी) के अंतर्गत, दो वर्ष की परिवीक्षा पर या आगामी आदेश तक वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 में ज़िला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं.

रायपुर, दिनांक 25 जनवरी 2011

फा. क्र. 641/3342/21-ब/छ. ग./2010.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड एक एवं छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्ते) नियम, 2006 के नियम 8 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, उच्च न्यायालय की अनुशंसा से, एतद्द्वारा, श्री गोविंद नारायण जांगड़े आत्मज श्री भागीरथी प्रसाद जांगड़े को उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्ते) नियम, 2006 के नियम 5 (1) (सी) के अंतर्गत, दो वर्ष की परिवीक्षा पर या आगामी आदेश तक वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 में जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. शर्मा, प्रमुख सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 जनवरी 2011

क्रमांक/एफ-2170/2010/25-2/आजावि.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, हज समिति अधिनियम, 2002 की धारा 18 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य हज समिति के सदस्य श्री मो. मूसा बाकर अली की मृत्यु होने के कारण समिति में रिक्त हुए स्थान पर श्री यूशा अली, मोमिन पारा रायपुर को सदस्य के रूप में नामांकित करता है.

2. हज समिति अधिनियम, 2002 की धारा 26 के प्रावधानानुसार श्री यूशा अली का कार्यकाल स्वर्गीय श्री मो. मूसा बाकर अली की शेष कार्यकाल अवधि दिनांक 14 मार्च, 2012 तक होगी.

3. यह अधिसूचना तत्काल प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 जनवरी 2011

क्रमांक एफ 8-6/2007/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित हसदेव ताप विद्युत गृह, कोरबा (पश्चिम) के बॉयलर मेकर क्रमांक एम.पी./0358 को दिनांक 01-01-2011 से दिनांक 31-03-2011 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से अतिरिक्त छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, संयुक्त सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 जनवरी 2011

क्रमांक/164/2865/32/2007.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा निवेश अधिनियम 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से निम्नलिखित नगरों के निवेश क्षेत्र में छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 लागू करता है :—

निवेश क्षेत्रों का नाम :—

(1) दुर्ग-भिलाई वाह्य वृद्धि निवेश क्षेत्र (2) अहिवारा (3) पाटन (4) थानखम्हरिया (5) धमधा (6) साजा (7) अर्जुन्दा (8) गुण्डरदेही (9) डौण्डीलोहारा (10) गुरूर.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 जनवरी 2011

क्रमांक एफ 1-2/2011/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 40 के परंतुक के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा श्री प्रफुल्ल विश्वकर्मा, रायपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, उपाध्यक्ष, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर नियुक्त करता है.

2. छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 1975 के नियम 17 के अंतर्गत श्री विश्वकर्मा की पदावधि चार वर्षों की होगी. परंतु पदावधि पूर्ण होने के पूर्व किसी भी समय राज्य सरकार द्वारा पद से, उसके लिये कोई कारण दिये बिना हटाया जा सकेगा.

रायपुर, दिनांक 22 जनवरी 2011

क्रमांक एफ 1-2/2011/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 40 के परंतुक के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा श्री रतन लाल डागा, रायपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, उपाध्यक्ष, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर नियुक्त करता है.

2. छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 1975 के नियम 17 के अंतर्गत श्री डागा की पदावधि चार वर्षों की होगी. परंतु पदावधि पूर्ण होने के पूर्व किसी भी समय राज्य सरकार द्वारा पद से, उसके लिये कोई कारण दिये बिना हटाया जा सकेगा.

रायपुर, दिनांक 22 जनवरी 2011

क्रमांक एफ 1-2/2011/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 40 के खण्ड (क) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा श्री सुनील सोनी, रायपुर को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, अध्यक्ष, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर नियुक्त करता है.

2. छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 1975 के नियम 17 के अंतर्गत श्री सोनी की पदावधि चार वर्षों की होगी. परंतु पदावधि पूर्ण होने के पूर्व किसी भी समय राज्य सरकार द्वारा पद से, उसके लिये कोई कारण दिये बिना हटाया जा सकेगा.

3. उपर्युक्तानुसार श्री सुनील सोनी द्वारा अध्यक्ष, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. एस. बजाज, (भा.व.से.) अध्यक्ष, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर के कार्यभार से मुक्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एल. सांकला, अवर सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2010

क्रमांक एफ 10-36/2010/16.—संविदा श्रमिक (नियमन एवं समाप्ति) अधिनियम, 1970 की धारा 35 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 12 (2) सहपठित छत्तीसगढ़ नियम, 1973 के नियम 24 (1) में निम्नानुसार संशोधन एतद्द्वारा किया जाता है :—

"अनुज्ञप्ति प्राप्त करते समय प्रति श्रमिक प्रतिभूति की राशि रुपये 200/- के स्थान पर रुपये 1000/- ठेकेदार से अनुज्ञप्ति अधिकारी जमा करायेगा."

उपरोक्त आदेश अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा.

रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2011

क्रमांक एफ 1-6/2010/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए इस संबंध में पूर्व में प्रसारित समस्त अधिसूचना को निरस्त करते हुए शासन एतद्द्वारा श्री आर. सी. सिन्हा, श्रमायुक्त को छ. ग. राज्य के लिए "मुख्य संराधक" नियुक्त करता है.

No. F 1-6/2010/16.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of Chhattisgarh Industrial Relation Act, 1960. And in supersession of all previous notification issued on the subject State Government hereby appoints Shri R. C. Sinha, Labour Commissioner to be Chief Conciliator for the State of Chhattisgarh.

रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2011

क्रमांक एफ 1-6/2010/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (1960 का क्रमांक 27) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए इस संबंध में पूर्व में प्रसारित समस्त अधिसूचना को निरस्त करते हुए शासन एतद्द्वारा श्री आर. सी. सिन्हा, श्रमायुक्त को छ. ग. राज्य के लिए "श्रमायुक्त " नियुक्त करता है.

No. F 1-6/2010/16.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of Chhattisgarh Industrial Relation Act, 1960 (No. 27 of 1960). The State Government in supersession of all previous notification issued in this regard, appoints Shri R. C. Sinha, Labour Commissioner for the State of Chhattisgarh.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 जनवरी 2011

क्रमांक एफ 13-04/2011/20-तीन.—छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 क्रमांक 23 सन् 1965 की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ट) के उपखण्डों द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को माध्यमिक शिक्षा मण्डल के सदस्यों के रूप में नामनिर्दिष्ट करती है :—

1. उपखण्ड (एक) के अंतर्गत—मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के तीन प्राचार्यों/प्रधानाध्यापक :—

क्रमांक	नाम	पता
1.	श्रीमती सीमा शर्मा, प्राचार्य	शा. उ. मा. विद्यालय, कोहका, दुर्ग
2.	श्री एम. आर. सावंत, प्राचार्य	प्रो. जे. एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा. विद्यालय, रायपुर.
3.	श्री विजय खण्डेलवाल, प्राचार्य	जे.आर.दानी कन्या उ. मा. विद्यालय, रायपुर

2. उपखण्ड (दो) के अंतर्गत—अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं या प्रशिक्षण महाविद्यालयों के एक प्राचार्य

क्रमांक	नाम	पता
1.	श्रीमती नीलू बाला जैन, प्राचार्य	सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय, अंबिकापुर

3. उपखण्ड (तीन) के अंतर्गत—मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के छ: अध्यापक जिनमें कम से कम एक महिला

क्रमांक	नाम	पता
1.	श्री दिलीप केशरवानी, प्राचार्य	शा. उ. मा. विद्यालय, माना बस्ती, रायपुर
2.	श्री संजय जोशी, शिक्षक	गुजराती उ. मा. विद्यालय, देवेन्द्र नगर, रायपुर
3.	श्रीमती सुचिता पाण्डेय, व्याख्याता	प्रो. जे. एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा. विद्यालय, रायपुर.
4.	श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, व्याख्याता वाणिज्य	स्वामी करपात्री जी शास्त्री शा.उ.मा.वि., कवर्धा
5.	श्री मंगरा राम महतो, शिक्षक	शा. उ. मा. विद्यालय, जशपुर नगर
6.	श्री सुधीर गौतम, व्याख्याता	शा. उ. मा. विद्यालय, खल्लारी वि. ख. डौण्डी, जिला दुर्ग.

4. उपखण्ड चार के अंतर्गत स्थानीय निकायों को सम्मिलित करते हुए प्रबंध का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन ऐसे व्यक्ति जो मंडल द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थायें चलाते हों :—

क्रमांक	नाम	पता
1.	श्री उद्धव मोटवानी	किशोर भवन, कृष्णा नगर, जुना बिलासपुर
2.	श्रीमती श्वेता शर्मा	जिला पंचायत सदस्य छूरा, जिला रायपुर
3.	श्री महराज लाल टंडन, संचालक	मिनीमाता उ. मा. विद्यालय गिरवानी, वि.ख. बिलाईगढ़, जिला रायपुर.

5. उपखण्ड छ के अंतर्गत—ऐसे हित का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति जिनका अन्यथा प्रतिनिधित्व न हुआ हो :—

क्रमांक	नाम	पता
1.	डॉ. प्रफुल्ल शर्मा, व्याख्याता	अशासकीय अनुदान प्राप्त उ. मा. वि. कोतमी-सुनार, जिला जांजगीर-चांपा.
2.	श्री प्रशांत अग्रवाल	धमधा, जिला दुर्ग

उपरोक्त नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि इस अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीन वर्ष की होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. राठिया, अवर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2010

क्रमांक-एफ 3-48/2010/बजट/गृह-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973, क्रमांक-2 सन् 1974 की धारा 2 के खण्ड (घ) के तहत् प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी में वर्णित स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा जन सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से कालम नम्बर-3 में वर्णित पुलिस थाना के उक्त सारणी के कालम (4)

की तत्संबंधित प्रवृष्टि में उल्लेखित किये गये स्थानीय क्षेत्रों को कालम नं.-2 में वर्णित पुलिस थाना/चौकी के स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अधिसूचित करता है :—

क्र.	थाना/चौकी का नाम	उस पुलिस थाने का नाम, तह. जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया	स्थानीय क्षेत्र	
			ग्राम का नाम	पटवारी ह. नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01.	थाना आवापल्ली जिला बीजापुर	थाना उसूर, जिला बीजापुर	सीतापुर	20
			चाटलापल्ली	20
			मुरदण्डा	20
			बायगुडा	20
			कमरगुडा	20
			पुन्नुर	19
			दुब्बईगुड़ा	19
			पेंकरम	19
			चेरकडोडी	19
			चेरामंगी	19
			चिंताकोंटा	19
			इलमिड़ी	19
			लंकापल्ली	19
			मुजालकांकेर	19
			कुटलापल्ली	26
			सेमलडोडी	19
			नुकनपाल	19
			धारावारम	19
			आवापल्ली	29
02.	चौकी दशरंगपुर, थाना-पिपरिया, जिला कबीरधाम.	थाना पिपरिया	दशरंगपुर	38
			कौड़िया	38
			चोरभट्टी	38
			अमलीडीह	38
			पावले	38
			बंधी	38
			कोसमंदा	38
			हीरापुर	38
			लालपुर	38
			कुआं (करही)	38
			करही (कुआं)	38
			चुचरूंगपुर (कला)	38
			खण्डसरा	38
			बिसनपुरा	38
			पनेका	38
			लिटीपुर	38
			बिरनपुर	38
			केशली	38
			बिटकुली (कला)	38
			गुढ़ा	38

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			सोनपुरी	38
			तमरूवा	38
			नवागांव (भुरकुड़ा)	38
			चुचरूंगपुर (खुर्द)	38
			बाघामुड़ा	38
			बहरमुड़ा	38
			अगरीकला	38
			दूधिया	38
			खैरा	38
			पेण्ड्रा	38
			देवदहरा	38
			बिटकुली (खुर्द)	38
03.	चौकी गणेशमोड़ थाना+जिला बलरामपुर	थाना+जिला बलरामपुर	महराजगंज	24
			सौनी	24
			कोटपाली	24
			पुटसुरा	24
			खजुरी	24
			राधाकृष्णनगर	24
			झलपी	24
			झरहाडीह	24
			चिरकोमा	24
			सागरपुर	24
			कृष्णानगर	22
			पिपराही	22
			रामनगर कला	22
			रामनगर खुर्द	22
			भैंसामुण्डा	22
		तह. कुसमी	बसकेपी	24
		तह. बलरामपुर	भेदमी	24
			महकेपी	24
04.	चौकी मोहरसोप जिला सुरजपुर	तहसील सुरजपुर	वरानारा	02
			तमहार	02
			रसौकी	02
			जुड़वनियां	02
			नवडीहा	02
			खैरा	02
			कछिया	03
			तेलईपाठ	02
			लुल्ह	02
			खोहिर	02
			पडवारी	02
			परसा	02
			कछवारी	02

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
05.	थाना भोरमदेव जिला-कवर्धा	तहसील-कवर्धा	चौरा	30
			छेरकीकछार	30
			दियाबार	30
			छपरी	30
			रजपूरा	30
			कटगो	30
			बाघुटोला	30
			सिंगारपुर	30
			हरमो	30
			टुकड़ा डोंगईटोला	30
			भंडार डबरा	30
			भंवरटोक	30
			दुरदूरी	30
			धनडबरा	32
			प्रतापगढ़	32
			मंडलाकोना	32
			बांधा	32
			चौकी	32
			सैगोनाडीह	32
			किसुनगढ़	32
			महराजपुरडीह	32
			सिंघनपुरी	32
			झंडी	32
			केसदा	32
			राजानवागांव	30
			भालूचुवा	30
			अचानकपुर	30
			गांगचुवा	29
			चिखली	30
			बरकोही	33
			मन्नादेवी	33
			रोचन	33
			बरभांपर	33
			सेवईकछार	33
			कोदार	29
			कौहापानी	30
06.	थाना मदनवाड़ा जिला-राजनांदगांव	तहसील-मानपुर जिला-राजनांदगांव	बोरकन्हार	15
			सहपाल	15
			बसेली	14
			कनेली	16
			चावरगांव	16
			मुंजाल	15
			कुण्डकल	15
			मूचर	17
			पनाहूर थाना औंधी	17

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			कारेकट्टा	17
			रेतेगांव	17
			हुरवे	15
			हुरेली	15
			दोरदे	15
			कलवर	15
			मदनवाड़ा	15
			रनवाही	16
			खुर्सेकला	14
			खुर्सेखुर्द	14
07.	थाना लोहत्तर जिला-उत्तर बस्तर कांकेर	थाना कोडेकुर्सी (दुर्गूकोंदल)	लोहत्तर	04
			सिलपट	04
			सोनादेई	01
			परभेली	07
			शीतलपुर	07
			भेलवापानी	07
			गुमड़ी	07
			डडईखेड़ा	07
			पिरचोड़	04
			बेल्दो	07
			भेजर	07
			घनवा फुलंचूर	07
			पित्ते फुलचूर	07
			गुड़फेंड़	04
			मोहगांव	06
			कोडगांव	14
			ओडाहूर	14
			तुमरीसुर	07
			जाड़ेकुर्सी	07
			गुदुम	06
			मेरेगांव	26
			गरदा	12
		थाना दुर्गूकोंदल	चेमल	05
			कानापाल	05
			गुलालबोड़ी	05
			एनगुड़	07
08.	थाना दुगली जिला धमतरी	थाना सिहावा	दुगली (वनग्राम)	06
			करैहा	06
			आमदी	06

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			सरंगपुरी (वनग्राम)	06
			खैरभर्री (वनग्राम)	06
			चिंवरी (माल)	06
			सांकरा	06
			अर्जुनी	06
			चिंवरी (रैयत)	06
			कुकरीकोन्हा (वनग्राम)	06
			गट्टासिल्ली	06
			कुम्हडाकोट	06
			गेंदरा	06
			गोंदलानाला	06
			बधवापथरा (वनग्राम)	06
			कोहिनपारा (वनग्राम)	06
			बांधा (वनग्राम)	06
			मोहमल्ला (माल)	08
			मोहमल्ला (रैयत)	08
			गजकन्हार (वनग्राम)	08
			गुहाननाला (वनग्राम)	08
			सरईटोला (माल)	08
			सरईटोला (रैयत)	08
			जोराडबरी	06
			चटर्रीबहरा	06
			गट्टासिल्ली (रैयत)	06
			खरकाभर्री (वनग्राम)	06
			कोलियारी (वनग्राम)	06
			मुनईकेरा (वनग्राम)	06
			देवगांव (वनग्राम)	06
			दिगवारपुर (वनग्राम)	06
			कौहाबाहरा (वनग्राम)	06
			पालगांव (वनग्राम)	06
			केरामुडा (वनग्राम)	06
			केकराखोली (वनग्राम)	06
			बोईरगांव (वनग्राम)	06
			जबर्रा (वनग्राम)	06

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एल. लिखाटे, अवर सचिव.

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जनवरी 2011

क्रमांक-एफ-1-19/2007/सात-3 (पार्ट-चार).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ भू-अभिलेख सेवाओं में चतुर्थ श्रेणी सेवा की भर्ती की पद्धति तथा विस्तार को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :—**

   (1) ये नियम छत्तीसगढ़ भू-अभिलेख सेवा चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2010 कहलाएंगे.

   (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **लागू होना :—** ये नियम अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे.

3. **वर्गीकरण तथा वेतनमान इत्यादि :—** सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, भर्ती का तरीका, आयु सीमा तथा अन्य विषय अनुसूची के कालम (3) से (14) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार होंगे.

4. आरक्षण :—

   (1) **अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण :—** सीधी भर्ती के पदों के लिए आरक्षण, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबंधों के अनुसार होगा.

   (2) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबन्धों के अनुसार होगा.

   (3) **महिलाओं के लिए आरक्षण :—** महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (लोक सेवा एवं पदों में महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार होगा.

5. **व्यावृत्ति :—** इन नियमों में की गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, ऐसे शासकीय सेवक जिनकी मृत्यु सेवावधि के दौरान हुई हो, के कुटुम्ब के किसी एक सदस्य की अनुकम्पा नियुक्ति, विकलांग व्यक्तियों तथा अन्य व्यक्तियों जो अन्य श्रेणियों से संबंधित हो के आरक्षण तथा शिथिलीकरण को प्रभावित नहीं करेगी तथा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों या बनाए गए नियमों के अनुसार विनियमित होगी.

6. **निरसन तथा व्यावृत्ति :—** इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं :

   परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई कोई भी कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्यवाई समझी जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील कुमार कुजूर, प्रमुख सचिव.

अनुसूची

सीधी भर्ती हेतु

स. क्र.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान		भर्ती का तरीका सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	आयु सीमा न्यूनतम/अधिकतम	विहित शैक्षणिक अर्हता	परिवीक्षा परीक्षण की कालावधि यदि कोई हो	पद का नाम जिसमें पदोन्नति की जानी है	सीधी भर्ती के लिये विहित आयु सीमा तथा शैक्षणिक अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में पद जिनसे पदोन्नति स्थानान्तरण किया जायेगा	सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के लिये चयन समिति
				पुनरीक्षित बैण्ड	ग्रेड पे								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	भृत्य	216	चतुर्थ श्रेणी	4750-7440	1300	100% सीधी भर्ती द्वारा	18 से 30 वर्ष (छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिये आयु 18 से 35 वर्ष तक)	5वीं उत्तीर्ण	2 वर्ष	दफ्तरी	कॉलम क्र. 8 से 10 तक	5 वर्ष नियमित सेवा	(एक) अतिरिक्त संचालक, भू-राजस्व. — अध्यक्ष (दो) संयुक्त संचालक, भू-राजस्व. — सदस्य (तीन) उप संचालक, सांख्यिकीय. — सदस्य (चार) सहायक संचालक, भू-राजस्व. — सदस्य (पांच) लेखा अधिकारी — सदस्य (छः) अधीक्षक भू-राजस्व. — सदस्य (एक सदस्य अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों की श्रेणी से होगा)
2.	चेनमेन	714	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.	चतुर्थ श्रेणी	10	चतुर्थ श्रेणी	4750-7440	1300	100% सीधी भर्ती द्वारा	18 से 30 वर्ष (छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिये आयु 18 से 35 वर्ष तक)	5वीं उत्तीर्ण	2 वर्ष	दफ्तरी	कॉलम क्र. 8 से 10 तक	5 वर्ष नियमित सेवा	(एक) अतिरिक्त संचालक, भू-राजस्व. — अध्यक्ष (दो) संयुक्त संचालक भू-राजस्व. — सदस्य (तीन) उप संचालक, सांख्यिकीय. — सदस्य (चार) सहायक संचालक, भू-राजस्व. — सदस्य (पांच) लेखा अधिकारी — सदस्य (छः) अधीक्षक भू-राजस्व. — सदस्य (एक सदस्य अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों की श्रेणी से होगा)
4.	चौकीदार	2	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-

टीप :— (1) दफ्तरी के पद पर पदोन्नति के लिए विचार करने हेतु भृत्य की संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जायेगी तथा ऐसी वरिष्ठता सूची में कर्मचारियों के नाम उनके द्वारा निम्नतर पदों पर की गई निरंतर स्थामापन्न सेवा के आधार पर रखे जाएंगे.

(2) दफ्तरी के पद पर पदोन्नति के लिए नामनिर्दिष्ट विभागीय पदोन्नति समिति का गठन किया जायेगा जो संयुक्त संचालक द्वारा नामनिर्दिष्ट की जायेगी.

Raipur, the 20th January 2011

No. F-1-19/2007/Seven-3 (Part-4).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby makes the following rules to regulate the method and scope of recruitment to the Class-IV service in the Chhattisgarh Land Record Services, namely :—

RULE

1. **Short Title and Commencement.—**
   (1) These rules may be called the Chhattisgarh Land Record Services Class-IV Service Recruitment Rules, 2010.

   (2) These rules shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.—** These rules shall apply to the posts specified in column (2) of the schedule.

3. **Classfication and Scale of Pay etc.—** The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto, method of recruitment, age limit and other matters shall be in accordance with the provisions contained in column (3) to (14) of the Schedule.

4. **Reservation.—**
   (1) **Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.—** Reservation for the posts of direct recruitment shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Public Service (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 (No. 21 of 1994).

   (2) Reservation in promotion shall be made for the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes in accordance with the provisions of Chhattisgarh Civil Service (Promotion) Rules, 2003.

   (3) **Reservation for women.—** Reservation for women candidates shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Service (Special Provision for Appointment of Women in Public Service and Posts) Rules, 1997.

5. **Saving.—** Nothing in these rules shall effect reservation and relaxation provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes for Ex-serviceman compassionatory appointment to the one member of the family of the Government employees who dies during service period, handicapped persons and other persons belonging to other categories and shall be regulated in accordance with the rules made or orders issued by the State Government from time to time in this regard.

6. **Repeal and Saving.—** All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules :

   Provided that any order made or any action taken under rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SUNIL KUMAR KUJUR, Principal Secretary.

SCHEDULE

For Direct Recruitment

S. No.	Name of Post	Number of Post	Classi-fication	Scale of pay		Method of recruitment percentage of vacant posts to be filled by direct recruitment or by promotion or by transfer and by different methods	Age limit Minimum/ Maximum	Prescribed Educational quali-fication	Period of probation trail if any	Name of the post in which promotion is to be done	Whether in the case of promotion prescribed limit age and educational qualification to the direct recruitment will be apply	In case of recruitment by promotion or transfer post from which promotion transfer will be made	Selection committee for direct recruitment and promotion
				Revised Band	Grade Pay								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Peon	216	Class-IV	4750-7440	1300	100% by Direct Recruit-ment	18 to 30 year (Age for citizen of Chhattisgarh up to18 to 35 years)	5th Pass	2 years	Daftari	Column No. 8 to 10	5 years continuous service	(i) Additional Director, Land Record. — Chairman (ii) Joint Director—Member Land Record. (iii) Deputy Director, Statistical. — Member (iv) Assistant Director, Land Record. — Member (v) Accounts Officer. — Member (vi) Superin-tendent Land Record. — Member (One member from the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes Category)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.	Chainman	714	Class-IV	4750-7440	1300	100% by Direct Recruit-ment	18 to 30 year (Age for citizen of Chhattisgarh up to 18 to 35 years)	5th Pass	2 years	Daftari	Column No. 8 to 10	5 years continuous service	(i) Additional Director, Land Record. — Chairman (ii) Joint Director Land Record. — Member (iii) Deputy Director, Statistical. — Member (iv) Assistant Director, Land Record. — Member (v) Accounts Officer. — Member (vi) Superin-tendent Land Record. — Member (One member from the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes Category)
3.	Class four	10	-do-	-do-	-do-	-do-	-do-	-do-	-do-	-do-	-do-	-do-	-do-
4.	Chowkidar	2	-do-	-do-	-do-	-do-	-do-	-do-	-do-	-do-	-do-	-do-	-do-

Note :— (1) To consider for promotion on the post of Daftari combined seniority list of Peon shall be made and the name of employees in such seniority list shall be placed on the basis of officiating continuous service rendered by them on the lower posts.

(2) For promotion on the post of Daftari nominated Departmental promotional committee shall be constituted which shall be nominated by Joint Director.

रायपुर, दिनांक 27 जनवरी 2011

क्रमांक एफ 1-126/राजस्व/राहत/2010.—आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 48 की उपधारा 1 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति से निपटने के लिये राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) का गठन करती है.

No. F 1-126/Revenue/Relief/2010.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section 1 of section 48 of the Disaster Management Act, 2005 (No. 53 of 2005) the State Government hereby Constitutes the State Disaster Response Fund (hereinafter SDRF) for meeting any threatening disaster situation or disaster.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील कुमार कुजूर, प्रमुख सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगद्रलपुर छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जगदलपुर, दिनांक 22 जनवरी 2011

क्र./क/भू-अर्जन/07/अ-82/2007-08.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	जाटम प. ह. नं. 58	0.10	कार्यपालन अभियन्ता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन विभाग, जगदलपुर.	डोंगाम जलाशय के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन विभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. परस्ते, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2010

क्रमांक 2/अ-82/08-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	रतनपुर	रतनपुर	0.142	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	माइनर नहर निर्माण क्रमांक 4 के लिए.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2010

क्रमांक 3/अ-82/08-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	औरापानी	0.421	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	औरापानी जलाशय माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2010

क्रमांक 4/अ-82/08-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	रतनपुर	रतनपुर	0.150	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	माइनर नहर निर्माण क्रमांक 2 के लिए.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 21 जनवरी 2011

क्रमांक 03/अ-82/2010-11/सा-1/सात.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	खरगहना	13.704	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	लछनपुर व्यपवर्तन दायीं तट नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 जनवरी 2011

क्रमांक/1349 /भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	सरहर प.ह.नं. 17	58.828	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला जांजगीर-चांपा.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती जिला जांजगीर-चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 जनवरी 2011

क्रमांक/1353/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	मुक्ताराजा प.ह.नं. 17	44.928	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला जांजगीर-चांपा.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती जिला जांजगीर-चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चंद्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 18 जनवरी 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	बरमकेला	परसरामपुर प. ह. नं. 31	1.963	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रायगढ़.	सूरजगढ़ नदीगांव मार्ग के कि.मी. 1/2 पर निर्माणाधीन महानदी सेतु पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 18 जनवरी 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	कुटेला प. ह. नं. 21	0.113	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ+स) रायगढ़ संभाग, रायगढ़.	कुटेला लेन्ध्रा कोसीर मार्ग के निर्माण हेतु अधिग्रहित भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 6 जनवरी 2011

प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-सीपत
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.13 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
124/1	0.13
योग	0.13

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सीपत-झलमला पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

जगदलपुर, दिनांक 14 जनवरी 2011

क्रमांक/क/भू-अर्जन/01/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-करनपुर, प. ह. नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.42 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	140	0.20
	143	0.01
	144	0.05
	147	0.12
	148/1	0.04
योग	5	0.42

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट स्थापना में जल आपूर्ति हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी जगदलपुर एवं परियोजना प्रबंधक एन.एम.डी.सी. जगदलपुर जिला बस्तर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 14 जनवरी 2011

क्रमांक/क/भू-अर्जन/3/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बस्तर
(ख) तहसील-बस्तर
(ग) नगर/ग्राम-छोटेअलनार, प. ह. नं. 24
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.330 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	138	0.140
	103/1	0.032
	103/2	0.032
	103/3	0.032
	137	0.022
	136	0.080
	108/9	0.080
	108/7	0.080
	108/5	0.080
	124	0.060
	123	0.060
	122	0.060
	125	0.008
	120	0.088
	119	0.060
	116	0.104
	114	0.128
	182	0.120
	54	0.024
	55	0.040
योग	20	1.330

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत अलनार माइनर नहर क्रमांक 01 एवं 02 के निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी बस्तर अथवा कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 14 जनवरी 2011

क्रमांक/क/भू-अर्जन/4/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बस्तर
(ख) तहसील-बस्तर
(ग) नगर/ग्राम-चमिया, प. ह. नं. 24
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.346 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
271	0.364
272/1	0.044
262	0.108
578	0.042
581	0.062
588	0.192
593	0.360
605	0.144
607	0.084

	(1)	(2)
	609	0.108
	608	0.162
	690	0.120
	680	0.176
	672	0.076
	673/2	0.224
	701	0.080
योग	16	2.346

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत सिवनी वितरक नहर एवं अलनार माइनर नहर क्रमांक 3 के निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी बस्तर अथवा कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. परस्ते, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 4 नवम्बर 2010

क्र./क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./18/अ-82/वर्ष 09-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सिलयारी, प. ह. नं. 85/7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.202 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	702/1 ख	0.101
	701/3	0.101
योग	2	0.202

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-चरोदा, मोहंदी-गोढ़ी-सिलयारी मार्ग के निर्माणाधीन कोलहान नाला सेतु के सिलयारी की पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2010

क्र./क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./17/अ-82/वर्ष 09-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-गोढ़ी, प. ह. नं. 92
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.369 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1896	0.050
1897/2	0.059
1897/5	0.065
1898/1	0.105
1898/2	0.040

(1)	(2)
1898/3	0.050
योग 6	0.369

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-चरोदा, मोहंदी-गोढ़ी-सिलयारी मार्ग कि.मी. 07/2-4 पर निर्माणाधीन कोलहान नाला सेतु के गोढ़ी की ओर पहुंच मार्ग हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2010

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./02/अ-82/वर्ष 10-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-तिल्दा
- (ग) नगर/ग्राम-लखना, प. ह. नं. 01
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.447 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
11/2	0.053
69/1	0.095
69/2	0.140
70/1	0.082
70/2	0.077
योग 05	0.447

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-खारून नदी पर ग्राम लखना की ओर पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 13 जनवरी 2011

क्रमांक/क/भू-अर्जन/10/रा. प्र. क्र. 11/ए-82/10-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बलौदाबाजार
- (ग) नगर/ग्राम-पनगांव, प. ह. नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.119 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
2/2	0.049
2/3	0.012
15/1	0.081
3/2	0.032
4/1 क	0.328
13	0.121
4/1 ख	0.328
4/2	0.656
8/2, 9/3, 49/2	0.093
39/2, 46/2	0.020
5	0.239
6	0.134
7	0.016
10	0.093
11	0.081
12	0.048
40	0.040
14	0.142
15/2	0.081
15/3	0.081
15/4	0.081
36	0.032
37	0.080
38	0.049
39/1, 46/1	0.109

	(1)	(2)
	47	0.093
योग	23	3.119

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नवीन मण्डी प्रांगण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 13 जनवरी 2011

क्रमांक क/अ.वि.अ./भू-अर्जन/प्र. क्र. 2/अ-82/2009-10.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-बलौदाबाजार

(ग) नगर/ग्राम-डोंगरा, प. ह. नं. 35

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.362 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	474/1	0.158
	276/1	0.126
	473/1	0.174
	275/1	0.105
	278	0.012
	272, 273	0.113
	253/3, 258/1	0.057
	271/1	0.020
	253/22	0.121
	253/39	0.024
	260/1	0.109
	259	0.081
	243	0.069
	269/2, 270/1	0.065
	258/2	0.081
	257/1	0.061
	255/2	0.020
	260/2	0.032
	238/2	0.028
	256	0.146
	244/2	0.069
	238/1	0.065
	239/4	0.065
	34/1	0.081
	29	0.101
	28	0.028
	12/4	0.117
	22/6	0.012
	12/1	0.008
	18/2, 3, 4	0.186
	13	0.028
योग	31	2.362

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध संभाग क्रमांक 02 बलौदाबाजार लवन शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 13 जनवरी 2011

संशोधन

क्रमांक/क/वाचक-भू-अ/अ.वि.अ./प्र. क्र./6/अ-82/वर्ष 2008-09.—भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/6/अ-82/वर्ष/2008-09 ग्राम ओटगन के माध्यम से अर्जित की जा रही भूमि कुल खसरा-11, कुल रकबा 1.281 हेक्टेयर के अर्जन हेतु दिनांक 21-08-2009 को अधिसूचना धारा-6 के तहत जारी की गई थी, जिसका प्रकाशन छ. ग. राजपत्र भाग-एक के पेज क्रमांक 1586 पर दिनांक 06-11-2009 एवं दो स्थानीय क्षेत्रों के दैनिक समाचार पत्रों क्रमशः प्रतिदिन राजधानी दिनांक 31-10-2009 को एवं दैनिक प्रखर समाचार में दिनांक 01-11-2009 को किया गया है, उक्त सूचना में खसरा नंबर 530/3 एवं 550/4 के स्थान पर त्रुटिवश क्रमशः 503/3 एवं 50/4 का प्रकाशन हो गया है, रकबा का प्रकाशन सही है, अतः भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 6/अ-82/वर्ष 2008-09 ग्राम ओटगन में सिमगा वितरक नहर माईनर नं. 02 के निर्माण हेतु खसरा नं. 530/3 रकबा 0.060 एवं खसरा नं. 550/4 रकबा 0.077 (खसरा नं. 545 के संयुक्त रकबा सहित) हेक्टेयर का अर्जन की आवश्यकता होने से तदनुसार संशोधित सूचना धारा-6 के तहत प्रकाशित किये जाने हेतु अनुमति दी जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग .

रायगढ़, दिनांक 14 दिसम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2009-2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-तमनार
- (ग) नगर/ग्राम-केराखोल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.516 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	7/1	0.078
	7/2	0.078
	8	0.089
	9	0.162
	11	0.109
योग	5	0.516

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केराखोल, नूनदरहा मार्ग पर पाझरनाला सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 27 दिसम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2009-2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-गोसाईपोडी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.722 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
36/1	0.012
19	0.012
100/1	0.040
36/2	0.014
17	0.001
100/3	0.008
79/1	0.032
33/3	0.034
15/2	0.001
71/8 ग	0.080
12	0.012
71/8 ख	0.034
38	0.040
16	0.012
79/2	0.036
14	0.040
69	0.032
98	0.024
70/2	0.052
71/1 ग	0.056
71/5 घ	0.264
78	0.144
35	0.036
68	0.048
37	0.004

(1)	(2)
70/4	0.084
99	0.036
22/1	0.072
15/9	0.001
143/4	0.052
15/1	0.030
33/1 ग	0.072
70/1	0.052
71/8 क	0.144
70/3	0.048
143/2	0.001
71/8 घ	0.062
योग 37	1.722

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सलका सांगुल व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत गोसाईपोडी शाखा नहर हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/सह भू-अर्जन अधिकारी, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 27 दिसम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2008-2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता हैं कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-धरमजयगढ़

(ग) नगर/ग्राम-खम्हार

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.297 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
608	0.224
613	0.004
609	0.118
648/1 घ	0.012
528	0.044
532	0.170
596	0.132
591	0.085
597	0.024
615	0.060
616	0.044
618/2	0.101
619	0.040
435	0.078
438/2	0.048
443/2 ख	0.060
449	0.028
440	0.001
590	0.024
योग 19	1.297

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- साजादरहा व्यपवर्तन योजना की बायीं मुख्य नहर चैन क्रमांक 0 से 35 तक का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/सह भू-अर्जन अधिकारी, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 14 जनवरी 2011

क्रमांक/05/अ-82/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-दुर्ग
  (ख) तहसील-नवागढ़
  (ग) नगर/ग्राम-झुलना, प. ह. नं. 27
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.29 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	26	0.24
	328	0.18
	337	0.17
	377	0.42
	398	0.77
	399	0.26
	463	0.24
	464	0.24
	396	0.41
	465	0.36
योग	10	3.29

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिगुआ जलाशय के डूबान में प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 14 जनवरी 2011

क्रमांक/10/अ-82/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-दुर्ग
  (ख) तहसील-नवागढ़
  (ग) नगर/ग्राम-केशला, प. ह. नं. 19/25
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.11 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	268	0.11
योग	1	0.11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मल्दा-भदराली मार्ग के केकडार नाला सेतु निर्माण में प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 14 जनवरी 2011

क्रमांक/11/अ-82/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-दुर्ग
  (ख) तहसील-नवागढ़
  (ग) नगर/ग्राम-बघुली, प. ह. नं. 04
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.05 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	272	0.01
	273	0.04
योग	2	0.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बाघुल कुर्दा मार्ग हाफ नदी सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण में प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 14 जनवरी 2011

क्रमांक/12/अ-82/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेमेतरा
- (ग) नगर/ग्राम-अमलीडीह, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.46 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	77	0.46
योग	1	0.46

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बाघुल कुर्दा मार्ग हाफ नदी सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण में प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 20 जनवरी 2011

क्रमांक/139/अ.भू-अ.प्र./02/अ-82/वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-धमधा
- (ग) नगर/ग्राम-परसदा, प. ह. नं. 27
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-19.20 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
502	0.25
607	0.22
608	0.02
609	0.06
610	0.01
611	0.01
613	0.36
612	0.01
614	0.39
615/2	0.03
615/3	0.74
615/4	0.75
615/5	0.52
616	2.77
617	0.22
619	0.08
620	0.08
621	0.18
637	0.19
638	0.23
639	0.39
640	0.15
641	0.19
642	0.10
643	0.11
644	0.54
645/1	0.76
645/2	0.36
646	0.59
647	0.53
648	0.78
649	0.71
650	0.37
651	0.36
652	0.39
654	0.40

(1)	(2)
622	0.13
623	0.12
624	0.16
625	0.15
626	0.17
627	0.36
630/1	0.15
630/2	0.13
632	0.30
633	0.23
634	0.18
635	0.18
636/1	0.20
636/2	0.20
655	0.41
656	0.33
657	0.25
659	0.17
660	0.14
661	0.17
662	0.10
663	0.23
664	0.14
665	0.06
666	0.10
667	0.06
668	0.26
669	0.27
योग 64	19.20

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-उच्च दाब पावर पूलिंग स्टेशन/पावरग्रिड कार्पो. हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सहायक श्रमायुक्त, दुर्ग जिला-दुर्ग

दुर्ग, दिनांक 01 जनवरी 2011

क्रमांक 01/छ. ग./दु.स्था./2011/12.—छ. ग. दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा 13 की उपधारा (3-क) एवं श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 4514/16-ए दिनांक 09-12-1983 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं यू. के. मेश्राम सहायक श्रमायुक्त दुर्ग जिला-दुर्ग छ. ग., दुर्ग जिले के अंतर्गत आने वाले शहर बेमेतरा नगर पालिका परिषद् क्षेत्र में छ. ग. दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के प्रावधान लागू होते हैं, की दुकान एवं स्थापनाओं हेतु साप्ताहिक बंद दिवस दिन गुरुवार घोषित करता हूं.

उक्त आदेश अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा.

यू. के. मेश्राम,
सहायक श्रमायुक्त.